

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I

PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 165] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 19, 1978/श्रावण 28, 1900

No 165] NEW DELHI SATURDAY, AUGUST 19, 1978/SRAVANA 28, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this part in order that it may be filed
as a separate compilation

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आयात-व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना संख्या 62-आई० टी० मा० (पीएन)/78

(दिनांक 1 अगस्त, 1978)

विषय—स्वयं आभूषण निर्यात प्रतिपूर्ति योजना

उपरोक्त विषय पर वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना संख्या-59-आई० टी० सी०
(पी एन)/78 दिनांक 17 अगस्त 1978 को ओर ध्यान खिनाया जाता है।

उक्त सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट के पैरा 5 के अनुसरण में जब तक अधिसूचना आदेश
न हो यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा रिहाई आवेदन धारियों का जिस
मृत्यु पर स्वयं बेचा जाएगा ण३ मास का प्रति 10 ग्राम वह ०५० रुपये (केवल पांच सौ अस्सी
रुपए) होगा (1 000 फाइनतम) (उसके ऊपर नगरे वान अन्य कर शुल्क शामिल नहीं है)

3 उक्त योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं में सोना बेचा जाएगा :—

1. मुख्य प्रबन्धक,
ओवरसीज शाखा, भारतीय स्टेट बैंक, पो० बा० सं० 1006, बम्बई-400023
2. मुख्य प्रबन्धक,
ओवरसीज शाखा, भारतीय स्टेट बैंक,
पो० बा० संख्या-14, कलकत्ता-700001
3. मुख्य प्रबन्धक,
ओवरसीज शाखा, भारतीय स्टेट बैंक, 33, नार्थ बीच रोड, मद्रास-600001
4. मुख्य प्रबन्धक,
ओवरसीज शाखा भारतीय स्टेट बैंक,
पो० बा० सं० 22, नई दिल्ली-110001

[मिसिल संख्या 4/12/78-ई पीसी से जारी]

का० वें० शेषाद्रि, मुख्य नियंत्रक

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION

(Department of Commerce)

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO : 62—ITC(PN)/78

New Delhi, the 19th August, 1978

Subject :—Gold Jewellery Export Replenishment Scheme.

Attention is invited to the Department of Commerce Public Notice No. 59-ITC(PN)/78, dated the 17th August, 1978, on the above subject.

2. It is hereby notified in pursuance of the Para 5 of the Appendix to the said Public Notice that, until further orders, the price at which the gold will be sold to the Release Order-holders by the State Bank of India would be Rs. 580-00 (Rupees Five hundred and eighty only) per 10 gramme of pure gold (1,000 fineness) (exclusive of any local taxes applicable thereto).

3. The following are the branches of the State Bank of India at which gold (1,000 fineness) (exclusive of any local taxes applicable thereto).

- (i) The Chief Manager,
Overseas Branch,
State Bank of India,
P. B. No. 10006, Bombay 400 023.

- (ii) The Chief Manager,
Overseas Branch,
State Bank of India,
P. B. No. 14, Calcutta 700 001.
- (iii) The Chief Manager,
Overseas Branch,
State Bank of India,
23, North Beach Road,
Madras 600 001.
- (iv) The Chief Manager,
Overseas Branch,
State Bank of India,
P. B. No. 22, New Delhi 110 001.

[Issued from file No. 4/12/78/EPC]

K. V. SESHADRI, Chief Controller.

